

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0.112/19 ता0रजु.2.6.11.19. किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक.15.1.2020

सरकार

बनाम

रामनिवास, शंकरपाल पुत्र पुष्पराज

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपुरा मल्का ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपुरा मल्का के खसरा नम्बर 90, 97, 118, 119 रकबा 0.90, 0.90, 0.33, 0.34 हेक्टर किस्म भूमि चरपाट (4) पर सम्बत 2076 में श्री रामनिवास, शंकरपाल पुत्र पुष्पराज गुप्ति शा. नयप) बयाना ने 0.32, 0.16, 0.04, 0.12 अतिक्रमण कर लिया है।

दिनांक 10.12.2019

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जबाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भूअ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भूअ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भूअ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से वेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 90, 97, 110, 119 रकबा 0.32, 0.16, 0.04, 0.12 हेक्टर वाके ग्राम कपुरा मल्का से वेदखल किया जाता है। लगान 2.56 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 1275 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फरका को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ वेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक. 15.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। नं 28

दिनांक 21/01/2020  
नया नम्बर 127/-  
तहसीलदार बयाना

  
तहसीलदार  
बयाना